डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 2015

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 41, 2018)

DR. RAM MANOHAR LOHIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES ACT, 2015

(U.P. Act No. 41 of 2018)

डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 2015[1]

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 41 सन् 2018)

[भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015 पर दिनांक 11 सितम्बर, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 41 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ उ0प्र0 गजट असाधारण में दिनांक 12 सितम्बर, 2018 को प्रकाशित किया गया।]

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित, भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अनुसरण में विधान मण्डल द्वारा पुनः पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता हैः—

अध्याय—एक

ikjfEHkd

1—यह अधिनियम डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 2015 कहा जायेगा। **संक्षिप्त नाम**

2—जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,— **परिभाषायें**

(क) 'बोर्ड' का तात्पर्य संस्थान के बोर्ड आफ गवर्नर्स से है;

(ख) 'निदेशक' का तात्पर्य धारा 14 के अन्तर्गत नियुक्त संस्थान के निदेशक से है;

(ग) 'कर्मचारी' का तात्पर्य संस्थान द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और उसमें अध्यापक, चिकित्सक अथवा संस्थान के कर्मचारिवर्ग का कोई अन्य सदस्य सम्मिलित है;

(घ) 'निधि' का तात्पर्य धारा 28 के अन्तर्गत अनुरक्षित संस्थान की निधि से है;

(ङ) 'संस्थान' का तात्पर्य धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान से है;

(च) 'विहित' का तात्पर्य विनियमों द्वारा विहित से है;

(छ) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य धारा 12 में सन्दर्भित संस्थान के अध्यक्ष से है;

(ज) 'विनियमावली' का तात्पर्य धारा 34 के अन्तर्गत बनाये गये संस्थान के विनियमों से है;

(झ) 'सचिव/प्रमुख सचिव' का तात्पर्य उ0 प्र0 सरकार के सम्बन्धित विभाग में संस्थान के मामलों को व्यवहृत करने वाले सचिव/प्रमुख सचिव, जैसी स्थिति हो, से है;

(ञ) 'सोसाइटी' का तात्पर्य सोसाइटीज़ रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत डा0 राम मनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज सोसाइटी, लखनऊ से है;

(ट) 'अध्यापक या संकाय—सदस्य' का तात्पर्य आचार्य, अपर आचार्य, सह—आचार्य, सहायक आचार्य या संस्थान में शिक्षण, प्रशिक्षण अथवा शोध कार्य के निर्देशन या संचालन हेतु संस्थान द्वारा सेवायोजित या सहबद्ध किसी व्यक्ति से है जिनमें डीन तथा निदेशक सम्मलित हैं।

---

1. उद्देश्य व कारण के लिए इस अधिनियम के अन्त में देखें।

अध्याय–दो

l LFkku

3-(1) लखनऊ में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सदृश डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नाम से एक संस्थान स्थापित किया जायेगा। **संस्थान की स्थापना तथा निगमन**

(2) संस्थान एक निगमित निकाय होगा और राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित एक विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा।

(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि पर और से,–

(क) लखनऊ स्थित डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान सोसाइटी विघटित हो जायेगी तथा सोसाइटी की समस्त सम्पत्ति–चल व अचल–अधिकार, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार तथा दायित्व एवं भार संस्थान को अन्तरित एवं उसमें निहित हो जायेंगे;

(ख) सोसाइटी के किसी सांविधिक लिखत के सभी सन्दर्भ संस्थान के सन्दर्भ समझे जायेंगे;

(ग) इस अधिनियम के लागू होने के पहले अथवा बाद में बनाये गये या निष्पादित किये गये किसी विलेख या अन्य अभिलेख, जिसमें सोसाइटी के पक्ष में की गयी विरासत, उपहार अथवा धरोहर सम्मिलित है, को संस्थान के पक्ष में की गयी विरासत, उपहार अथवा धरोहर समझा जायेगा;

(घ) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि के पूर्व सोसाइटी में विधिवत सेवायोजित और इस रूप में अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि के ठीक पहले कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति उसी पदावधि और उन्हीं सेवा–शर्तों पर संस्थान का कर्मचारी हो जायेगा।

4-संस्थान लिंग, वंश, पंथ अथवा वर्ग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों के लिये सुलभ रहेगा और संस्थान के लिये यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह संस्थान का अध्यापक की नियुक्ति हेतु अर्ह बनाने अथवा उसमे कोई अन्य पद धारित करने अथवा छात्र के रूप में संस्थान में प्रवेशित होने अथवा उसके विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने की पात्रता हेतु किसी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का परीक्षण धार्मिक विश्वास या व्यवसाय या राजनैतिक धारणा के अनुसार अंगीकृत अथवा अधिरोपित करे**:** **संस्थान सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिये होगा**

परन्तु यह कि समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन–जातियों/नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए संस्थान में पदों तथा कर्मचारियों की भर्ती पर तथा किसी अध्ययन पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश पर आरक्षण तत्समय प्रवृत्त राज्य सरकार की विधियों एवं आदेशों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

5-संस्थान में निम्नलिखित होंगे :– **संस्थान की संरचना**

(क) श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश शासन –कुलाध्यक्ष (पदेन)

(ख) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन –अध्यक्ष (पदेन)

(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग –उपाध्यक्ष (पदेन)

(घ) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग, अथवा उनका नाम–निर्देशिती –सदस्य (पदेन)

(ङ) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नियोजन विभाग, अथवा उनका नाम–निर्देशिती –सदस्य (पदेन)

(च) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, न्याय विभाग, अथवा उनका नाम–निर्देशिती –सदस्य (पदेन)

(छ) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश –सदस्य (पदेन)

(ज) निदेशक –सदस्य–सचिव (पदेन)

(झ) संस्थान का डीन –सदस्य (पदेन)

(ञ) राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट चिकित्सा संस्थानों के प्रमुख/आयुर्विज्ञान क्षेत्र में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव रखने वाले दो व्यक्ति –सदस्य

(ट) कुलाध्यक्ष द्वारा नाम–निर्दिष्ट भारतीय विश्वविद्यालयों के चिकित्सा संकायों अथवा संस्थानों के तीन प्रतिनिधि –सदस्य

(ठ) भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि –सदस्य

(ड) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् का एक प्रतिनिधि –सदस्य

(ढ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् का एक प्रतिनिधि –सदस्य

(ण) भारतीय नर्सिंग परिषद् का एक प्रतिनिधि –सदस्य

(त) राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट दो प्रख्यात शिक्षाविद् –सदस्य

(थ) दो वरिष्ठतम विभागाध्यक्ष, प्रत्येक दो वर्षों के चक्रानुक्रम द्वारा –सदस्य

सदस्यों की पदावधि और रिक्तियाँ

6–(1) अनुवर्ती उपधाराओं के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पदेन सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की पदावधि, नाम–निर्देशन के दिनांक से पाँच वर्ष होगी।

(2) धारा 5 के अधीन नाम–निर्दिष्ट सदस्य, जैसे ही अपने धारित पद जिसके फलस्वरूप वह वैसा सदस्य है, से हट जाता है, की पदावधि समाप्त हो जायेगी।

(3) किसी पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी जब तक कि वह पद जिसके आधार पर वह ऐसा सदस्य है, धारित किये रहता है।

(4) किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिये नाम–निर्दिष्ट सदस्य की पदावधि उस सदस्य के जिसके स्थान पर वह नाम निर्दिष्ट हुआ है, की पदावधि की शेष अवधि तक होगी।

(5) बहिर्गामी सदस्य पुनः नाम–निर्देशन के लिये पात्र हो सकेगा।

(6) सदस्य–सचिव के माध्यम से अध्यक्ष को सम्बोधित स्व–हस्ताक्षरित पत्र द्वारा कोई सदस्य अपना पद-त्याग सकता है परन्तु वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका त्याग-पत्र स्वीकार न कर लिया जाये।

(7) सदस्यों की रिक्तियों के भरे जाने की रीति ऐसी होगी, जैसी विहित की जाये।

संस्थान की बैठक

7–(1) संस्थान की बैठक ऐसे समय और स्थान पर होगी, जैसा अध्यक्ष समय–समय पर अवधारित करे।

(2) ऐसी बैठक में कार्य–सम्पादन की रीति वही होगी जैसी विहित की जायेः

परन्तु यह कि संस्थान की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी।

संस्थान के उद्देश्य

8–संस्थान के निम्न उद्देश्य होंगेः–

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सदृश चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में तथा विशिष्टियों, अति–विशिष्टियों और ऐसे अन्य विषयों के लिये जिनका भविष्य में आविर्भाव हो, चिकित्सा परिचर्या, शिक्षा और उच्च स्तरीय शोध सुविधाओं की, जिसके अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा को जारी रखना भी है, व्यवस्था करने के लिए एक उत्कृष्ट केन्द्र का सृजन करना;

(ख) वर्तमान संस्थाओं को उन्नत करके बहुद्देशीय विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट चिकित्सालयों एवं अभिघात केन्द्रों की व्यवस्था करना तथा उन्हें उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में स्थापित करना और उनमें मरीजों के उपचार की व्यवस्था करना;

(ग) शिक्षण एवं प्रशिक्षण के अन्तर्गत अवर–स्नातक, परा–स्नातक, डाक्टोरल तथा पोस्ट–डाक्टोरल चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत शिक्षण एवं प्रशिक्षण एवं अति विशिष्ट विषयों में शोध में उत्कृष्टता विकसित करना ताकि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्तरीय मानक स्थापित हो सकें;

(घ) परा–चिकित्सा मानव संसाधन हेतु प्रशिक्षण केन्द्र एवं सुविधायें विकसित करना;

(ङ) अभिनव चिकित्सा एवं सहवर्ती विशिष्टताओं तथा उप–विशिष्टताओं को व्यवहृत करने हेतु विशेषीकृत एवं विशिष्ट विभागों की स्थापना करना।

संस्थान की शक्तियाँ एवं कृत्य

9–(1) संस्थान की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कृत्य होंगेः–

(क) अवर-स्नातक, परा-स्नातक तथा औषधि एवं सहवर्ती विज्ञान की अति–विशिष्ट शाखाओं में शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा इन क्षेत्रों में अनुसंधान एवं ज्ञान की ऐसी शाखाओं के उन्नयन एवं अभिवृद्धि हेतु व्यवस्था करना;

(ख) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र एवं अन्य शैक्षिक विशिष्टियां संस्थित एवं प्रदान करना;

(ग) अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश देना, परीक्षाओं या परीक्षण का संचालन तथा उस हेतु शर्तों का निर्धारण करना;

(घ) ऐसे व्यक्तियों को उपाधियां डिप्लोमा और अन्य शैक्षिक विशिष्टियां प्रदान करने हेतु परीक्षा आयोजित करना जिन्होंने,–

(एक) किसी अध्ययन–पाठ्यक्रम का अनुगमन किया हो;

(दो) संस्थान में शोध किया हो ;

(ङ) मानद उपाधि तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टियां प्रदान करना;

(च) विनियमों के अनुसार छात्रवृत्तियां, अध्येयतावृत्तियां (यात्रा–वृत्तियों को सम्मिलित करते हुये) विद्यावृत्तियां, वृत्तियां, पदक और पारितोषिक संस्थित करना एवं उन्हें प्रदान करना;

(छ) संस्थान के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु शिक्षण एवं शोध केन्द्रों, चिकित्सालयों, ग्रामीण एवं शहरी केन्द्रों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय तथा अन्य मदों की स्थापना, अनुरक्षण एवं संचालन करना;

(ज) फीस तथा अन्य प्रभारों का निर्धारण एवं उन्हें वसूल करना;

(झ) शैक्षणिक, प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय, प्राविधिक तथा अन्य आवश्यक पदों को अपेक्षानुसार सृजित करना तथा उन पर नियुक्ति करना;

(ञ) शोध एवं अन्य गुणवत्तापरक कार्यों के प्रकाशन की व्यवस्था करना;

(ट) अपने चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों पर मरीजों के चिकित्सा एवं उपचार की व्यवस्था करना;

(ठ) द्वितीयक एवं तृतीयक चिकित्सालय के रूप मे कार्य करना;

(ड) जो सम्पत्ति संस्थान की है या उसमें निहित है, उसकी व्यवस्था किसी ऐसी रीति से करना जो इसके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक हो;

(ढ) अन्य संस्थानों के साथ सहकार्य या सहयोग करना जो मरीजों की देखभाल, उच्च शिक्षा, चिकित्सा एवं परा-चिकित्सा क्षेत्र में अनुसंधान हेतु आवश्यक हो;

(ण) संस्थान के उद्देश्यों को अग्रसर करने हेतु अपेक्षित अन्य कार्य करना:

परन्तु यह कि संस्थान–

(एक) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के सिवाय, संस्थान की किसी अचल सम्पत्ति को बन्धक, विक्रय, विनिमय, उपहार अथवा अन्य प्रकार से अन्तरित नहीं करेगा;

(दो) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के सिवाय अथवा राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के बिना संस्थान में किसी पद का सृजन नहीं करेगा।

(2) संस्थान के विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्ते वही होंगे जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किये जायें।

अध्याय–तीन

lLFkku d vf/kdkjh

संस्थान के अधिकारी

10–संस्थान के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:–

(क) कुलाध्यक्ष;

(ख) संस्थान का अध्यक्ष;

(ग) संस्थान का उपाध्यक्ष;

(घ) निदेशक;

(ङ) संस्थान का डीन;

(च) वित्त अधिकारी;

(छ) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें विनियमों द्वारा घोषित किया जाये।

कुलाध्यक्ष

11–(1) उत्तर प्रदेश के राज्यपाल संस्थान के कुलाध्यक्ष होंगे।

(2) कुलाध्यक्ष अपनी पदीय हैसियत से संस्थान का प्रधान होगा और जब उपस्थित हो, संस्थान के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(3) मानद उपाधि अथवा विशिष्टता प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाध्यक्ष द्वारा पुष्टि किये जाने के अधीन होगा।

(4) कुलाध्यक्ष प्रति पाँच वर्ष के पश्चात् संस्थान की प्रगति की समीक्षा ऐसी रीति से करायेंगे जैसा वह उचित समझें।

(5) संस्थान की प्रगति की समीक्षा करने पर कुलाध्यक्ष, राज्य सरकार को धारा 41 के अधीन कार्यवाही करने के लिये निर्देश दे सकते हैं या, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे निर्देश दे सकते हैं जो वह आवश्यक समझें, और संस्थान ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिये बाध्य होगा।

(6) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किन्तु धारा 42 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलाध्यक्ष लिखित आदेश द्वारा संस्थान की किसी ऐसी कार्यवाही को निष्प्रभावी कर सकते हैं जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अनुकूल न हो :

परन्तु कोई ऐसा आदेश देने के पूर्व वे संस्थान से कारण बताने को कहेंगे कि क्यों न ऐसा आदेश दिया जाय और यदि कोई कारण ऐसे युक्तिसंगत समय के भीतर दर्शित किया जाये जिसकी अनुमति इस निमित्त दी गयी हो तो वह उस पर विचार करेंगे।

अध्यक्ष की शक्तियाँ

12–(1) उत्तर प्रदेश सरकार का मुख्य सचिव, संस्थान का अध्यक्ष होगा और वह शासी निकाय का सभापति भी होगा। संस्थान की बैठकें अध्यक्ष के निदेश के अनुसार बुलायी जायेंगी।

(2) अध्यक्ष संस्थान की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(3) अध्यक्ष की शक्तियाँ एवं कृत्य निम्नवत् होंगे :–

(क) यह सुनिश्चित करना कि संस्थान के कार्यों का प्रशासन इस अधिनियम और विनियमों के उपबन्धों के अनुसार संचालित हो रहा है और ऐसे कदम उठाना, जैसा वह उचित समझे;

(ख) संस्थान के कार्यों के प्रशासन से सम्बन्धित सूचनाओं एवं अभिलेखों को मंगाना;

(ग) बैठक के पहले अथवा उसके दौरान किसी भी समय कार्यसूची में कार्य की नयी मदों या पूर्व से सम्मिलित विचारणीय कार्यसूची में अनुपूरक मदों को सम्मिलित करना;

(घ) अन्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना अथवा ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना, जैसे विहित किये जायें।

(4) अध्यक्ष अपनी किसी शक्ति को उपाध्यक्ष को प्रत्यायोजित कर सकता है।

उपाध्यक्ष

13–(1) प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन संस्थान के पदेन उपाध्यक्ष होंगे।

(2) संस्थान की किसी बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष उस बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा, जैसे विहित किये जायें।

निदेशक

14–(1) निदेशक की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा समिति की संस्तुति पर की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:–

(क) संस्थान का अध्यक्ष;

(ख) संस्थान का उपाध्यक्ष;

(ग) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण;

(घ) कुलाध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किसी चिकित्सा संस्थान अथवा चिकित्सा विश्वविद्यालय के प्रधान से अन्यून पंक्ति के चिकित्सा क्षेत्र के दो विशेषज्ञ।

(2) (क) निदेशक पद पर नियुक्ति हेतु केवल ऐसा व्यक्ति अर्ह होगा जिसने बासठ वर्ष की आयु प्राप्त न की हो;

(ख) निदेशक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि के लिये अथवा पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, पदधारण करेगा।

(ग) निदेशक द्वितीय पदावधि अथवा पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, के लिये नियुक्त किया जा सकता हैः

परन्तु यह कि निदेशक, कुलाध्यक्ष को सम्बोधित स्व–लिखित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग–पत्र दे सकता है एवं कुलाध्यक्ष द्वारा उसे स्वीकार कर लेने के पश्चात् वह अपने पद से विरत हो जायेगा।

(3) पदावधि की समाप्ति अथवा उपधारा (2) के खण्ड (ग) के परन्तुक के अधीन पद–त्याग के कारण, निदेशक के पद में होने वाली रिक्ति के दिनांक से, यथाशक्य, कम से कम साठ दिन पूर्व, और जब कभी भी ऐसी अपेक्षा की जाये और उस दिनांक के पूर्व जैसा कुलाध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, समिति कुलाध्यक्ष को निदेशक पद हेतु कम से कम तीन ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी। समिति कुलाध्यक्ष को नाम प्रस्तुत करते समय संस्तुत व्यक्तियों में से प्रत्येक की अर्हताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी, किन्तु वह उनमें कोई अधिमान–क्रम उपदर्शित नहीं करेगी।

(4) जहाँ कुलाध्यक्ष समिति द्वारा संस्तुत व्यक्तियों में से किसी एक या एकाधिक व्यक्ति को निदेशक नियुक्त किये जाने के उपयुक्त नहीं समझता है, अथवा संस्तुत व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिये उपलब्ध न हों और निदेशक का चयन तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो जायें, तो वह समिति से उपधारा (3) के अनुसार नये नामों की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है।

(5) समिति का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के कार्यवाही में भाग लेने के कारण जिसे बाद में अपात्र पाया गया हो, अविधिमान्य नहीं मानी जायेगी।

(6) निम्नलिखित किन्हीं भी परिस्थितियों में (जिनके विद्यमान होने का एक मात्र निर्णायक स्वयं कुलाध्यक्ष होगा) वह किसी उपयुक्त व्यक्ति को छः माह से अनधिक पदावधि के लिये, जैसा वह विनिर्दिष्ट करे, निदेशक के पद पर नियुक्ति कर सकेगा, –

(क) जहाँ निदेशक का पद रिक्त हो जाये और उसे उपधारा (1) से (5) के उपबन्धों के अनुसार सुविधापूर्वक तथा शीघ्रता से भरा जाना सम्भव न हो;

(ख) किसी अन्य आपात स्थिति में।

(7) निदेशक की अनुपस्थिति में संस्थान का ज्येष्ठतम आचार्य निदेशक के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(8) इस अधिनियम के प्राविधानों के अधीन रहते हुए, निदेशक की परिलब्धियाँ तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसी राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त अवधारित करे।

(9) यदि कुलाध्यक्ष की राय में निदेशक जान-बूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है अथवा कार्यान्वित करने से इंकार करता है अथवा अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है अथवा यदि कुलाध्यक्ष को अन्यथा यह प्रतीत हो कि निदेशक का पद पर बना रहना संस्थान के लिए अहितकर है, तो कुलाध्यक्ष ऐसी जाँच कराने के पश्चात्, जैसा वह उचित समझे, आदेश द्वारा निदेशक को हटा सकता है।

निदेशक की शक्तियाँ एवं कृत्य

15–(1) निदेशक संस्थान का प्रधान कार्यपालक तथा शैक्षणिक अधिकारी होगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निदेशक,–

(क) संस्थान के कार्य-कलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियन्त्रण रखेगा;

(ख) संस्थान के प्राधिकारियों के निर्णयों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा;

(ग) संस्थान में शिक्षण कार्यों के सम्पादन तथा अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा;

(घ) ऐसे उद्देश्यों, जो संस्थान के हित में आवश्यक हों, के लिए बोर्ड के अनुमोदन से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए किसी व्यक्ति को आबद्ध कर सकेगा।

(3) जहाँ कोई मामला आत्ययिक प्रकृति का है, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त संस्थान के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा उस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके, तो निदेशक ऐसी कार्यवाही कर सकेगा, जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट वह अध्यक्ष तथा ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को भी देगा, जो सामान्य क्रम में मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करतेः

परन्तु यह कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थी, तो वह मामला अध्यक्ष को निर्दिष्ट कर सकेगा, जो या तो निदेशक द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा अथवा उसे निष्प्रभावी कर सकेगा अथवा उसे ऐसी रीति से उपान्तरित करेगा, जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगीः

परन्तु यह और कि पूर्वोक्त परन्तुक में सन्दर्भित ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तर से निदेशक के आदेश द्वारा या उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) निदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो उसे संस्थान अथवा अध्यक्ष अथवा बोर्ड या अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा सौपें जायें।

(5) निदेशक संस्थान से सम्बन्धित सभी मामलों के संचालन तथा प्रबन्धन के लिये उत्तरदायी होगा।

डीन

16–(1) संस्थान का एक डीन होगा जो बोर्ड द्वारा संस्थान के वरिष्ठ आचार्यों में से नियुक्त किया जायेगा और तीन वर्ष तक कार्यरत रहेगा तथा पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होगा।

(2) डीन संस्थान के शैक्षिक मामलों में संस्थान के निदेशक की सहायता करेगा तथा ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसे विहित किये जायें।

वित्त अधिकारी

17–(1) संस्थान में एक वित्त अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग द्वारा की जायेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय संस्थान द्वारा किया जायेगा।

(2) वित्त अधिकारी आय-व्ययक प्रस्तुत करने तथा लेखे का विवरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा तथा संस्थान की ओर से निधियों के आहरण एवं वितरण के उत्तरदायित्व का भी निर्वहन करेगा।

(3) वित्त अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:–

(क) यह सुनिश्चित करना कि संस्थान द्वारा कोई ऐसा व्यय उपगत न किया जाये जो आय–व्ययक में प्राधिकृत न किया गया हो;

(ख) इस अधिनियम तथा विनियमों के प्राविधानों का उल्लंघन करने वाले प्रस्तावित व्ययों को नामंजूर करना;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई वित्तीय अनियमितता न की जाये और लेखा–परीक्षा के दौरान उपदर्शित अथवा अन्यथा दृष्टिगत किसी अनियमितता को ठीक करने के लिए कार्यवाही की जाय;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि संस्थान की परिसंपत्ति तथा विनिधानों का सम्यक् रूप से परिरक्षण और प्रबन्धन हो;

(ङ) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना जैसे विहित किये जायं।

(4) वित्त अधिकारी की पहुँच संस्थान के ऐसे अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक होगी तथा वह उन्हें प्रस्तुत करने और उसके कार्य-कलापों से सम्बन्धित ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

(5) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियाँ एवं कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायं।

अध्याय–चार

lLFkku d ikf/kdkjh

संस्थान के प्राधिकारी

18–संस्थान के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्:–

(क) बोर्ड ऑफ गवर्नर्स;

(ख) विद्या परिषद्;

(ग) वित्त समिति;

(घ) नैतिक समिति;

(ङ) प्रवेश समिति;

(च) परीक्षा समिति;

(छ) चयन समिति;

(ज) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें विनियमों द्वारा संस्थान का प्राधिकारी घोषित किया जाय।

बोर्ड ऑफ गवर्नर्स

19–(1) बोर्ड ऑफ गवर्नर्स संस्थान का मुख्य शासी निकाय होगा और उसमें निम्नलिखित होंगे :–

(क) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	–	सभापति (पदेन)
(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग	–	उप सभापति (पदेन)
(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग	–	सदस्य (पदेन)
(घ) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश	–	सदस्य (पदेन)
(ङ) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश	–	सदस्य (पदेन)
(च) निदेशक	–	सदस्य–सचिव (पदेन)
(छ) संस्थान का डीन	–	सदस्य (पदेन)
(ज) मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	–	सदस्य (पदेन)

(झ) कुलाध्यक्ष द्वारा नाम–निर्दिष्ट राज्य या राज्य के बाहर के चिकित्सा क्षेत्र के संस्थान के प्रधान से अन्यून दो प्रख्यात व्यक्ति – सदस्य (पदेन)

(ञ) निदेशक द्वारा नाम-निर्दिष्ट संस्थान में आचार्य एवं विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत दो व्यक्ति, चक्रानुक्रम द्वारा वरिष्ठता के आधार पर – सदस्य (पदेन)

(2) पदेन सदस्य की पदावधि तब तक बनी रहेगी जब तक वह अपना पद, जिसके फलस्वरूप वह सदस्य है, धारित किये रहता है।

(3) खण्ड (झ) एवं (ञ) के अन्तर्गत नाम-निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि नाम-निर्देशन की तिथि से दो वर्ष के लिये होगी।

(4) किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति हेतु नाम-निर्दिष्ट सदस्य की पदावधि उस सदस्य, जिसके स्थान पर उसका नाम-निर्देशन हुआ है, की अवशेष अवधि तक जारी रहेगी।

(5) बोर्ड की बैठक तीन माह में कम से कम एक बार अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर निर्धारित स्थान एवं समय पर होगी।

(6) किसी बैठक या अन्य उद्देश्यों या अपनी शक्तियों के प्रयोग अथवा कृत्यों के निष्पादन के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा अपने कार्यकलापों के संव्यवहार हेतु ऐसी प्रक्रिया अपनायी जाये जैसी विहित की जाय।

(7) ऐसे नियन्त्रण और प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए, जैसे विहित किये जायं, बोर्ड इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी शक्ति का प्रयोग अथवा किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिए ऐसी समितियों का, जिन्हें वह उचित समझे, गठन कर सकता है।

बोर्ड के कृत्य

20–(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, बोर्ड संस्थान के कार्यों के सामान्य अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिये उत्तरदायी होगा।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड,–

(क) संस्थान के कार्य–प्रशासन और कार्य–प्रणाली से सम्बन्धित नीतिगत मामलों में संस्थान के निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए कार्यवाही करेगा;

(ख) संस्थान में अध्ययन पाठ्यक्रम संस्थित करेगा और विद्या परिषद् की सलाह पर सभी शैक्षणिक विषयों पर, जिसके अन्तर्गत संस्थान द्वारा संचालित परीक्षाओं से सम्बन्धित विषय भी है, निर्णय लेगा;

(ग) संस्थान की सम्पत्ति और निधि का धारण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा;

(घ) संस्थान की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अर्जन कर सकता है;

(ङ) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए संस्थान के निवर्तन पर रखी गयी किसी निधि का प्रबंध करना;

(च) संस्थान के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों का पद सृजित या समाप्त कर सकेगा;

(छ) संस्थान के वित्त, लेखा, विनिधान, सम्पत्ति, व्यवसाय और अन्य सभी प्रशासनिक कार्यों का प्रबन्धन और विनियमन कर सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसे अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है जिसे वह उचित समझे;

(ज) संस्थान के किसी धन को (जिसके अन्तर्गत न्यास और विन्यासित सम्पत्ति से कोई आय भी है) ऐसे स्टाक, निधि, शेयर या प्रतिभूतियों में, जिसे वह समय–समय पर उचित समझे, विनिधानित कर सकता है;

(झ) संस्थान की ओर से संविदा कर सकता है, उसे परिवर्तित, कार्यान्वित और निरस्त कर सकता है;

(ञ) संस्थान के हित में अन्य ऐसे मामलों में निर्णय ले सकता है जो इस अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत बनाये गये विनियमों से असंगत न हों।

विद्या परिषद्

21–(1) विद्या परिषद् में निम्नलिखित होंगे:–

(एक) निदेशक – सभापति

(दो) संस्थान का डीन – सदस्य सचिव

(तीन) सभी शैक्षिक विभागों के अध्यक्ष – सदस्य

(2) विद्या परिषद् निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगी:–

(क) विभिन्न विभागों के लिये अध्ययन-पाठ्यक्रम तथा पाठ्य-विवरण तैयार करना तथा उन्हें परिवर्तित करना;

(ख) परीक्षा संचालित करने के लिये व्यवस्था करना;

(ग) विभाग के कार्यों से सम्बन्धित शैक्षिक मामलों पर संस्तुतियाँ देने के लिए विभाग के लिए परामर्शी समिति या विशेषज्ञ समिति या दोनों नियुक्त करना और सम्बन्धित विभागाध्यक्ष ऐसी समिति के संयोजक के रूप में कार्य करेगा;

(घ) ऐसे विशिष्ट मामलों पर जैसे विद्या परिषद् द्वारा ऐसी उप समिति को निर्दिष्ट किये जांय, विद्या परिषद् के सदस्यों, संस्थान के अन्य अध्यापकों तथा वाह्य विशेषज्ञों में से उपसमिति नियुक्त करना;

(ड.) परामर्शदात्री समिति, विशेषज्ञ समिति तथा अन्य उप समितियों द्वारा दी गई संस्तुतियों पर विचार करना तथा आवश्यकतानुसार प्रत्येक मामलों की परिस्थितियों के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बोर्ड को अपनी उपयुक्त संस्तुतियां प्रेषित करना;

(च) विभागों के कार्य-कलापों की आवधिक संवीक्षा करना तथा यदि आवश्यक हो तो, अपनी संस्तुतियां बोर्ड को प्रस्तुत करना;

(छ) पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं तथा चिकित्सालयों आदि के कार्यों पर परामर्श देना;

(ज) संस्थान के अन्दर शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना तथा ऐसे शोध कार्यों से सम्बद्ध व्यक्तियों से रिपोर्ट प्राप्त करना;

(झ) शैक्षिक स्टाफ द्वारा किये जाने वाले परामर्शी कार्यों के सम्बन्ध में अनुसरण की जा रही सामान्य नीतियों पर परामर्श देना;

(ञ) कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय तथा उनके विषयों के निरीक्षण का प्राविधान करना तथा बोर्ड को उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ट) अवार्ड से जुड़ी शर्तों के अनुसार वृत्तियाँ, विद्या-वृत्तियाँ, छात्रवृत्ति, शुल्क-मुक्ति, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करना।

(3) विद्या परिषद् आवश्यकतानुसार अपनी बैठकें करेगी परन्तु एक कैलेन्डर वर्ष में कम से कम दो बार बैठक अवश्य करेगी।

(4) विद्या परिषद् की बैठक सदस्य सचिव द्वारा या तो स्वयं की पहल पर अथवा निदेशक के निर्देश पर अथवा विद्या परिषद् के कम से कम पाँच सदस्यों के हस्ताक्षरों से की गई माँग पर आहूत की जायेगी।

(5) विद्या परिषद् के कुल सदस्यों की संख्या के आधे से गणपूर्ति होगी।

(6) सदस्य-सचिव द्वारा प्रत्येक बैठक की कार्यसूची के साथ लिखित सूचना विद्या परिषद् के प्रत्येक सदस्य को बैठक की तिथि से कम से कम एक सप्ताह पूर्व परिचालित की जायेगी। विद्या परिषद् का सभापति ऐसी कार्यसूची में ऐसा कोई प्रकरण सम्मिलित किये जाने की अनुमति दे सकता है जिसकी सम्यक् सूचना नहीं दी जा सकती थी।

(7) उपधारा (6) में किसी बात के होते हुये भी अत्यावश्यक तथा विशिष्ट मदों पर विचार हेतु सभापति अल्पकालिक सूचना देकर विद्या परिषद् की बैठक को आहूत कर सकता है।

(8) सभी प्रकरणों में सभापति का निर्णय अन्तिम होगा।

(9) विद्या परिषद् की बैठकों का कार्यवृत्त सदस्य सचिव द्वारा तैयार किया जायेगा तथा उसे उपस्थित सभी सदस्यों के मध्य परिचालित किया जायेगा।

वित्त समिति

22–(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे:–

(क) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग	–सभापति
(ख) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो विशेष सचिव पद से न्यून न हो	–सदस्य
(ग) निदेशक	–सदस्य
(घ) संस्थान का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	–सदस्य
(ङ) वित्त अधिकारी	–सदस्य सचिव

(2) वित्त समिति बोर्ड को, संस्थान की परिसम्पत्तियों के प्रबन्धन तथा विभिन्न निधियों से होने वाले आवर्ती तथा अनावर्ती व्ययों से सम्बन्धित विषयों पर आगामी वित्तीय वर्ष में संस्थान की आय तथा संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में सैद्धान्तिक सीमाओं के अनुरूप परामर्श देगा।

(3) वित्त समिति में ऐसी अन्य शक्तियाँ एवं कृत्य निहित होंगे, जैसी विहित की जांय।

नैतिक समिति

23–(1) संस्थान में एक नैतिक समिति होगी जो संस्थान, सम्बद्ध चिकित्सालयों और स्वास्थ्य केन्द्रों का सुचारू संचालन तथा मरीजों की समुचित देखभाल सुनिश्चित करेगी।

(2) नैतिक समिति के गठन का स्वरूप, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियाँ एवं कृत्य ऐसे होंगे, जैसे विहित किये जांय।

अन्य प्राधिकारी

24–प्रवेश समिति, परीक्षा समिति तथा संस्थान के अन्य प्राधिकारियों का गठन, शक्तियाँ एवं कृत्य वही होंगे जो विहित किये जांय।

अध्याय–पाँच

lLFkku d depkfjox

संस्थान के कर्मचारिवर्ग

25–(1) संस्थान राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथास्वीकृत कर्मचारियों के पदों की संख्या के अनुसार नियुक्तियां करेगा। संस्थान के कर्मचारियों के निबन्धन एवं सेवा-शर्तें वही होंगी जैसी विनियमों के अन्तर्गत निर्धारित की जांय।

(2) संस्थान के हित में अर्ह सरकारी सेवक प्रतिनियुक्ति अथवा सेवा स्थानांतरण के आधार पर शासकीय शर्तों एवं मानकों के अनुसार नियुक्त किये जा सकते हैं।

(3) बोर्ड, जैसा वह उचित समझे, शासन के अनुमोदन से समय-समय पर पदों को सृजित अथवा समाप्त कर सकता है। फिलहाल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली से अनुरूपता बनाये रखी जायेगी।

अध्यापक तथा अन्य कर्मचारिवर्ग की नियुक्ति एवं प्रोन्नति

26–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, अध्यक्ष द्वारा ऐसी संख्या में आचार्यों, सह-आचार्यों, सहायक आचार्यों तथा समूह 'क' के अधिकारियों की नियुक्ति, जितनी आवश्यक हों तथा निदेशक द्वारा ऐसी संख्या में समूह 'ख' के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियाँ की जायेंगी, जितनी आवश्यक हों।

(2) उपधारा (1) में यथा-उपबन्धित के सिवाय, संस्थान में अध्यापकों, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियाँ, ऐसी रीति से और ऐसे पदनामों एवं वेतनमानों में की जायेंगी जो विहित की जांय।

(3) इस अधिनियम के अन्तर्गत संस्थान में नियुक्त कर्मचारियों को ऐसे वेतन एवं भत्ते अनुमन्य होंगे और वे ऐसी सेवा-शर्तों से शासित होंगे जो विहित किये जांय।

(4) कोई व्यक्ति संस्थान में अध्यापक के पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक वह भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारतीय नर्सिंग परिषद् अथवा किसी अन्य केन्द्रीय/राज्य विनियामक निकाय और इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये विनियमों, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा इस हेतु विहित अर्हतायें धारित न करता हो और इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित चयन समिति द्वारा संस्तुत न हो।

(5) (क) संस्थान में आचार्य तथा सह-आचार्य की नियुक्ति अथवा प्रोन्नति हेतु चयन समिति निम्न प्रकार से गठित होगी:–

(एक) निदेशक, जो चयन समिति का सभापति होगा;

(दो) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश;

(तीन) संस्थान का डीन;

(चार) अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ;

(पाँच) ऐसे अन्य व्यक्ति जो विहित किये जाएं।

(ख) संस्थान के सहायक आचार्य तथा अन्य अध्यापकों की नियुक्ति अथवा प्रोन्नति हेतु चयन समिति निम्न प्रकार से गठित होगी:–

(एक) संस्थान का निदेशक, जो चयन समिति का सभापति होगा;

(दो) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश;

(तीन) संस्थान का डीन;

(चार) अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट दो विशेषज्ञ;

(पाँच) ऐसे अन्य व्यक्ति जो विहित किये जाएं।

(6) इस धारा के अन्तर्गत गठित चयन समिति उन सभी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जैसी विहित की जायें।

(7) चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियाँ विधिमान्य नहीं समझी जायेंगी जब तक कि वे उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा समर्थित न होंः

परन्तु यह कि उपधारा (5) के खण्ड (क) के अन्तर्गत गठित चयन समिति में कम से कम दो विशेषज्ञों की उपस्थिति तथा उपधारा (5) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत गठित चयन समिति में कम से कम एक विशेषज्ञ की उपस्थिति आवश्यक होगी।

(8) जब चयन समिति उपधारा (7) के प्राविधानों के अनुसार संस्तुतियाँ देने में असमर्थ रहती है तो चयन समिति का कार्यवृत्त अध्यक्ष को निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जायेगा और अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

(9) जब चयन समिति द्वारा की गई संस्तुतियाँ नियुक्ति प्राधिकारी को स्वीकार्य न हों तो वह संस्तुतियों पर आपत्ति के आधारों का उल्लेख करते हुए संक्षिप्त विवरण के साथ सम्पूर्ण मामले को अध्यक्ष को सन्दर्भित करेगा और उस पर अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगाः

परन्तु यह कि अध्यक्ष के लिए चयन समिति को पुनर्विचार हेतु मामला सन्दर्भित कर देना अथवा उस पर विचार करने हेतु दूसरी चयन समिति गठित करने की अपेक्षा करना विधिसम्मत होगा।

स्पष्टीकरण :— इस धारा के प्रयोजनार्थ समूह 'क' तथा समूह 'ख' के अन्तर्गत ऐसी श्रेणी के अधिकारी होंगे जिन्हें विनियमों में इस रूप में निर्दिष्ट अथवा पदनामित पदाभिहित किया गया हो।

अध्याय—छः

foÙk ,oa lEijh{kk

27—अधिनियम के अन्तर्गत संस्थान के कृत्यों के प्रभावी सम्पादन हेतु राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इस निमित्त विधितः राज्य विधान मण्डल का सम्यक् विनियोग प्राप्त करने के पश्चात् ऐसी धनराशि और ऐसी रीति से, जैसा वह उचित समझे, संस्थान को प्रदान कर सकेगी। **राज्य द्वारा सहायता अनुदान**

28—(1) संस्थान एक निधि अनुरक्षित करेगा जिसमें निम्नलिखित जमा की जायेगी:— **संस्थान की निधि**

(क) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सभी धनराशि;

(ख) संस्थान द्वारा प्राप्त सभी फीस व अन्य प्रभार;

(ग) किसी अन्य रीति से या किसी अन्य स्रोत से संस्थान द्वारा प्राप्त सभी धनराशि।

(2) निधि में जमा की गई सभी धनराशि राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा की जायेगी तथा उसका निवेश ऐसी रीति से किया जायेगा जैसा संस्थान राज्य सरकार के अनुमोदन से विनिश्चित करे।

(3) निधि का उपयोग संस्थान के व्ययों को पूरा करने के लिये किया जायेगा जिसके अन्तर्गत धारा 9 के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग एवं कृत्यों के निर्वहन में उपगत व्यय भी हैं।

संस्थान का आय–व्ययक

29–(1) प्रतिवर्ष, आगामी वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में, ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर जैसा विहित किया जाय, एक आय–व्ययक तैयार किया जायेगा जिसमें संस्थान की अनुमानित आय और व्यय उपदर्शित किया जायेगा और उसे ऐसी रीति से जैसी विहित की जाये, राज्य सरकार को अग्रसारित किया जायेगा।

(2) बोर्ड ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जो राज्य सरकार द्वारा दिये जायें और आय–व्ययक अन्तिम रूप से अनुमोदित करेगा।

(3) संस्थान के लिये यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि कोई ऐसा व्यय करे जो आय–व्ययक में स्वीकृत न हो या आय–व्ययक की स्वीकृति के पश्चात संस्थान को जो निधि राज्य सरकार, भारत सरकार या किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या प्रतिष्ठान या किसी अन्य अभिकरण के अनुदान से प्राप्त हो, उसके सम्बन्ध में उस अनुदान की शर्तों के अनुसार न हो:

परन्तु यह कि भारत सरकार और राज्य सरकार के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राप्त निधि संस्थान द्वारा तभी प्राप्त की जायेगी जब विधि के अन्तर्गत अपेक्षित आवश्यक निर्बाधन प्राप्त हो जायें:

परन्तु यह और कि आकस्मिक या अप्रत्याशित परिस्थितियों में पच्चीस हजार रुपये से अनधिक ऐसा अनावर्तक व्यय जो बजट में स्वीकृत न हो, निदेशक द्वारा किया जा सकता है और वह ऐसे सभी व्ययों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को तुरन्त सूचना देगा।

वार्षिक लेखे और तुलन–पत्र

30–(1) संस्थान समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और ऐसे प्रपत्र में जैसा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, वार्षिक लेखा–विवरण पत्र जिसके अन्तर्गत तुलन–पत्र भी है, तैयार करायेगा।

(2) वार्षिक लेखा विवरण पत्र और तुलन–पत्र की एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी जो उसकी लेखा–संपरीक्षा करायेगी।

वार्षिक प्रतिवेदन

31–संस्थान प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा और उसे ऐसी तिथि के पूर्व, जैसा विहित किया जाये, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे प्रतिवेदन की प्रति राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी।

भविष्य निधि एवं सेवा–निवृत्तिक लाभ

32–संस्थान अपने कर्मचारियों के लाभ के लिये राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये भविष्य निधि एवं सेवा–निवृत्तिक लाभ स्थापित करेगा।

अधिभार

33–(1) संस्थान, बोर्ड, किसी प्राधिकारी या संस्थान के अन्य निकाय का कोई सदस्य या यथास्थिति, संस्थान का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी संस्थान के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, अपव्यय या दुरुपयोग के लिये अधिभार का देनदार होगा यदि ऐसी हानि, अपव्यय या दुरुपयोग उसकी उपेक्षा या कदाचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हो।

(2) अधिभार आरोपित करने की प्रक्रिया और ऐसी हानि, अपव्यय या दुरुपयोग में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जाये।

अध्याय–सात

fofu ; e

विनियम बनाने की शक्ति

34–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, संस्थान राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से किसी विषय की व्यवस्था करने के लिये, जिसे विनियमों द्वारा किया जाना है या किया जा सकता है, विनियम बना सकती है और ऐसी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्:–

(क) संस्थान की प्रथम बैठक से भिन्न, बैठकों का आयोजन और उसे सम्पन्न करना और ऐसी बैठकों में कार्य संचालन और गणपूर्ति के लिये आवश्यक सदस्यों की संख्या;

(ख) इस अधिनियम के अधीन गठित किये जाने वाला बोर्ड, या किसी समिति या अन्य निकाय के गठन से सम्बन्धित कोई विषय;

(ग) संस्थान के अध्यक्ष तथा अन्य अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ और निर्वहन किये जाने वाले कृत्य;

(घ) बोर्ड और इस अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति या अन्य निकाय के सभापति और सदस्यों को भुगतान किया जाने वाला भत्ता, यदि कोई हो;

(ङ) बोर्ड और इस अधिनियम के अधीन गठित किसी अन्य प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा अपने कार्य संचालन, अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(च) संस्थान अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की पदावधि, परिलब्धियाँ और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;

(छ) संस्थान के निदेशक तथा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य;

(ज) संस्थान की सम्पत्तियों का प्रबन्धन;

(झ) उपाधि, डिप्लोमा और अन्य शैक्षिक विशिष्टतायें और उपाधियाँ जो संस्थान द्वारा प्रदान की जा सकती हैं;

(ञ) संस्थान के अध्यापकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के पदों का सृजन एवं ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति जिसके अन्तर्गत इन पदों हेतु अपेक्षित न्यूनतम् अर्हतायें भी सम्मिलित हैं;

(ट) फीस और अन्य प्रभार जिसकी संस्थान द्वारा माँग की जाये और उसे प्राप्त किया जाये,

(ठ) रीति जिसके अनुसार और शर्तें जिनके अधीन, संस्थान के कर्मचारियों के लाभ के लिये भविष्य निधि और अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों का गठन किया जा सकता है,

(ड) कोई अन्य विषय जिसके लिये इस अधिनियम के अधीन अथवा विनियमों द्वारा व्यवस्था की जा सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्रथम विनियमावली राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से बनाई जायेगीः

परन्तु यह कि जब तक उक्तवत् विनियमावली नहीं बना ली जाती, तब तक इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व प्रभावी सोसाइटी की उपविधियाँ, साथ ही ऐसे मामलों में जहां उक्त उपविधियाँ मूक हैं वहां, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की विनियमावली आवश्यक परिवर्तनों के साथ संस्थान पर उस सीमा तक प्रभावी रहेंगे, जहाँ तक वे इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों।

(3) संस्थान की पूर्वानुमति से बोर्ड उपधारा (2) में सन्दर्भित विनियमावली के अन्तर्गत नया या अतिरिक्त विनियम बना सकता है अथवा उसमें संशोधन अथवा उनका विखण्डन कर सकता है।

अध्याय–आठ

fofo/k

आदेशों और लिखतों का अधिप्रमाणीकरण

35–संस्थान के समस्त आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणीकरण निदेशक या संस्थान द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से किया जायगा और सम्बन्धित प्राधिकारी अथवा समिति अथवा संस्थान के अन्य निकायों की बैठक की कार्यवाही का अधिप्रमाणीकरण उसके सभापति तथा सदस्य सचिव के हस्ताक्षरों से किया जायेगा।

रिक्तियों आदि के कारण कार्य और कार्यवाहियाँ अविधिमान्य नहीं होंगी

36–संस्थान या इस अधिनियम के अधीन गठित किसी समिति द्वारा कृत किसी कार्य अथवा कार्यवाही पर केवल इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि संस्थान, प्राधिकारी या ऐसी समिति में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि थी।

उपाधि एवं डिप्लोमा आदि प्रदान करना

37–संस्थान को इस अधिनियम के अधीन डिग्री, डिप्लोमा और अन्य शैक्षिक विशिष्टतायें एवं पदवी प्रदान करने की शक्ति होंगी।

उपाधि एवं डिप्लोमा का वापस लिया जाना

38–यदि कोई व्यक्ति किसी विधि न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसमें बोर्ड की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त हो अथवा वह गम्भीर कदाचार का दोषी पाया गया हो तो, बोर्ड, विद्या परिषद् की संस्तुति पर, बैठक में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित विनिश्चय द्वारा उस व्यक्ति को प्रदत्त विशिष्टियाँ, डिग्री, डिप्लोमा अथवा विशेषाधिकार को वापस ले सकता है।

संस्थान द्वारा प्रदत्त चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता

39–भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 एवं तत्समय प्रवृत्त अन्य विधियों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संस्थान द्वारा प्रदत्त डिग्री, डिप्लोमा एवं अन्य विशिष्टितायें उक्त अधिनियम एवं अन्य विधियों के प्रयोजनार्थ मान्यता प्राप्त अर्हता मानी जायेंगी।

राज्य सरकार की निर्देश देने की शक्ति

40–राज्य सरकार समय–समय पर संस्थान को ऐसे नीति विषयक निर्देश जारी कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों व जैसा वह इस अधिनियम के उद्‌देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक एवं उपयुक्त समझे। संस्थान द्वारा ऐसे निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

राज्य सरकार की निरीक्षण कराने की शक्ति

41–(1) राज्य सरकार को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निदेश दे, संस्थान के, जिसके अन्तर्गत उसका भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कर्मशाला और उपस्कर भी हैं और संस्थान द्वारा संचालित या आयोजित परीक्षा, अध्यापन कार्य और अन्य कार्य का निरीक्षण कराने या संस्थान के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में उसी रीति से जांच कराने का अधिकार होगा।

(2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच कराने का विनिश्चय करे, वहां वह उसकी सूचना निदेशक के माध्यम से संस्थान को देगी और शासी बोर्ड द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई व्यक्ति संस्थान के प्रतिनिधि के रूप में ऐसे निरीक्षण या जांच के समय उपस्थित रह सकता है और इस रूप में उसका अधिकार होगा कि उसकी सुनवाई की जाय।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच के लिये नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को उपस्थित होने के लिये बाध्य करने और दस्तावेज और महत्वपूर्ण वस्तुओं के प्रस्तुत करने के लिये विवश करने के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उनके समक्ष कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

(4) राज्य सरकार निदेशक को ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के सन्दर्भ में पत्र भेजेगी और निदेशक बोर्ड को राज्य सरकार के दृष्टिकोणों को ऐसे परामर्श के साथ जिसे राज्य सरकार इस पर की जाने वाली कार्यवाही के लिये प्रस्तावित करे, संसूचित करेगा।

(5) निदेशक ऐसे समय के भीतर जैसा राज्य सरकार नियत करे, बोर्ड द्वारा की गयी कार्यवाही या किये जाने के लिये प्रस्तावित कार्यवाही की रिपोर्ट उसे प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि संस्थान के प्राधिकारी युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य सरकार के सन्तोषानुसार कार्यवाही न करे तो राज्य सरकार किसी स्पष्टीकरण पर जो ऐसे प्राधिकारी प्रस्तुत करे, विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश दे सकती है जिसे वह उचित समझे, और संस्थान के प्राधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करेंगे।

(7) राज्य सरकार अध्यक्ष को उपधारा (1) के अधीन कराये गये प्रत्येक निरीक्षण या जांच की रिपोर्ट की और उपधारा (5) के अधीन निदेशक से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की और उपधारा (6) के अधीन दिये गये प्रत्येक निदेश की और ऐसे निदेशों के पालन या अपालन के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट की भी एक प्रति सूचना के लिये भेजेगी।

कुलाध्यक्ष को निर्देश

42–यदि कोई प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति संस्थान, शासी निकाय, संस्थान के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त सदस्य है या नहीं, या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं, या संस्थान, शासी निकाय या संस्थान के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई विनिश्चय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अनुरूप है या नहीं, तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायेगा और उस पर कुलाध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिम होगाः

परन्तु इस धारा के अधीन कोई निर्देश उस दिनांक से जब कि प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था, तीन मास से अधिक होने के पश्चात् नहीं किया जायेगाः

परन्तु यह और कि कुलाध्यक्ष, आपवादिक परिस्थितियों में स्व–प्रेरणा से कार्य कर सकते हैं या पूर्वगामी परन्तुक में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के पश्चात् संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं।

विवरणी और सूचना

43–संस्थान राज्य सरकार, राज्य/केन्द्रीय विनियामक निकायों को ऐसी रिपोर्ट, विवरणी, विवरण–पत्र और अन्य सूचनायें प्रस्तुत करेगा जिसकी अपेक्षा वह समय–समय पर करे।

संविदाओं का निष्पादन

44–संस्थान एवं संस्थान के प्रशासन से सम्बन्धित समस्त संविदायें बोर्ड द्वारा की गयीं समझी जायेंगी और उनका निष्पादन निदेशक द्वारा किया जायेगा।

सम्पत्ति अन्तरण

45–राज्य सरकार संस्थान के प्रयोग एवं प्रबन्धन हेतु भवन, भूमि अथवा अन्य किसी सम्पत्ति, चाहे स्थावर हो या जंगम, का अन्तरण ऐसी शर्तों पर और ऐसी परिसीमाओं के अन्तर्गत कर सकती है, जैसा राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उचित समझें।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना

46–संस्थान के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई सभी आकस्मिक रिक्तियों को इतनी शीघ्रता से जैसा सुविधाजनक हो, ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरा जायेगा जो उन सदस्यों जिनके स्थान रिक्त हुए हैं, को नियुक्त या नाम-निर्दिष्ट करता हो और किसी आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त या नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता।

रिक्तियों के कारण प्राधिकारियों/निकायों की कार्यवाही का अविधिमान्य न होना

47–संस्थान के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां विद्यमान थीं।

इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत व्यक्तियों को संरक्षण

48–इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनाये गये विनियमों के अन्तर्गत सदाशयता से किये गये अथवा किये जाने हेतु आशयित किसी कृत्य के लिये किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ संस्थित नहीं होंगी।

49–संस्थान का प्रत्येक सदस्य एवं कर्मचारी जो इस अधिनियम या विनियमों या उसके अधीन दिये गये अथवा जारी आदेशों अथवा निर्देशों के अन्तर्गत कार्य कर रहा हो अथवा कार्य करने के लिए तात्पर्यित हो, को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 21 के अर्थान्तर्गत जन सेवक समझा जायेगा।

संस्थान के सदस्य एवं कर्मचारी जन सेवक होंगे

50–(1) संस्थान के किसी प्राधिकारी अथवा समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही अथवा संकल्प या संस्थान के कब्जे के अन्य दस्तावेज अथवा संस्थान द्वारा यथा-विधि अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि इस प्रकार पदाभिहित निदेशक द्वारा प्रमाणित हो तो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी वह प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी और उसमें अभिलिखित विषय तथा संव्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण की जायेगी जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई होती तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती।

अभिलेख सिद्ध करने की रीति

(2) संस्थान के किसी कर्मचारी से किसी ऐसी कार्यवाही में जिसमें संस्थान एक पक्ष न हो, संस्थान का कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख जिसकी अन्तर्वस्तुयें उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध की जा सकती हों, प्रस्तुत करने की अथवा उसमें अभिलिखित विषय तथा संव्यवहार को सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा न की जायेगी, जब तक कि न्यायालय विशेष कारण से आदेश न दे।

51–इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व कार्यरत सोसाइटी का बोर्ड एक वर्ष की अवधि तक अथवा जब तक संस्थान के लिये इस अधिनियम के अन्तर्गत नया बोर्ड गठित न हो जाये, जो भी पहले हो, कार्य करता रहेगा।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

52–यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार सरकारी गजट में आदेश प्रकाशित करके ऐसे उपबन्ध बना सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

उद्देश्य और कारण

डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की संकल्पना प्रारम्भ में संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुषंगी केन्द्र के रूप में अति–विशिष्ट तृतीयक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु की गयी थी। चिकित्सा सेवाओं में मात्रात्मक अभिवृद्धि हेतु इस संस्थान को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कराया गया और वर्ष 2006 से यह एक स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है।

यह विनिश्चय किया गया है कि एक कानून बनाकर उक्त संस्थान को विश्वविद्यालय की प्रास्थिति प्रदान करने के लिए व्यवस्था की जाये जिससे चिकित्सा, परा-चिकित्सा एवं अनुप्रयुक्त स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा एवं शोध की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अध्यापन और शोध केन्द्र के रूप में इसे अधिक दक्षतापूर्वक कार्य करने हेतु समर्थ बनाने की व्यवस्था की जा सके तथा समाज और राष्ट्र की सेवा करने के लिये बेहतर कार्य-क्षेत्र और अवसर का लाभ उठाया जा सके।

तदनुसार डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान विधेयक, 2015 पुरःस्थापित किया जाता है।